निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : बासोपट्टी

निरीक्षण की तिथि : 15.09.2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 15-09-2002 को बासोपट्टी थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

= =

1- परिचय :-

बासोपट्टी थाना जिला मुख्यालय से लगभग 45 कि0मी0 की दूरी पर कलुआही-बासोपट्टी मुख्य पथ पर अवस्थित है । इस थाना से 12 कि0मी0 की दूरी पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (भारत-नेपाल) है, जिसके बगल में धनुषा जिला अवस्थित है, जो नेपाल में पड़ता है । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर होने के कारण यह थाना अतिसंवेदनशील है ।

बताया गया कि वर्ष 1974 से यह थाना प्रारम्भ हुआ है । इस थाना का सृजन किस अधिसूचना संख्या से हुआ है के संबंध में पूछने पर बताया गया कि इसकी कोई सूचना इस थाना में उपलब्ध नहीं है, जो चिन्ता की बात है । इतना पुराना थाना होने के बावजूद भी किस अधिसूचना से इस थाना का सृजन हुआ, इसकी जानकारी थाना प्रभारी को नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । यदि मुख्यालय में अधिसूचना की प्रति प्राप्त नहीं होती है, तो आरक्षी महानिरीक्षक, कार्यालय से अथवा गृह (आरक्षी) विभाग, पटना से प्राप्त कर संधारित करना सुनिश्चित करें ।

लगभग 22 दिन पूर्व निरीक्षण की सूचना दिये जाने के बावजूद भी अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनगर निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं हुए, जो खेद का विषय है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनगर से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे । आरक्षी निरीक्षक, जयनगर निरीक्षण के समय उपस्थित थे ।

2- भवन :-

बासोपट्टी थाना भवन खादी भण्डार परिसर में भाड़े के मकान में कार्यरत है । थाना के उत्तर दिशा में बबन्देई पोखर, श्री रामजानकी रामसेवक दास महाविद्यालय एवं थाना से पश्चिम मुख्य मार्ग है । निरीक्षण के क्रम में अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर द्वारा बताया गया कि बासोपट्टी प्रखंड परिसर में थाना हेतु जमीन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, बासोपट्टी के पत्रांक 357 दिनांक 26-11-2001 द्वारा मौजे-बासोपट्टी, थाना नं0-38, संशोधित सर्वे प्लोट नं0- 2809, रकबा 1-0-0 एकड़ की भूमि

लगातार----2/-

हस्तांतरण हेतु जिला मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है । इस संबंध में अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व जमीन हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं अथवा नहीं के संबंध में अपना प्रतिवेदन देंगे । इस थाना को चहारदिवारी नहीं है, जबकि अर्न्तराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित होने के कारण अतिसंवेदनशील है । कार्यालय में बिजली, दूरभाष की व्यवस्था नहीं है, जिससे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । थाना में एक गाड़ी उपलब्ध है, जिसका नं0 बी0आर-32-7347 है । थाना प्रभारी का आवास थाना परिसर के पूरब की ओर है । थाना परिसर में महिला हाजत नहीं है ।

थाना में थानाप्रभारी का कक्ष, सिरिस्ता कक्ष, मालखाना कक्ष, वितंतु कक्ष, पुलिस बैरेक उपलब्ध है । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि मालखाना के एक कमरे में वर्षों पूर्व पकड़े गये गाँजा जप्त कर रखा हुआ है, जो सड़ रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त गाँजा के निष्पादन की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें । थाना परिसर में अनावश्यक रूप से पुरानी मोटर साईकिल, कुर्की-जप्ती के दरम्यान जप्त किये गये मच्छरदानी आदि अस्त-व्यस्त स्थिति में पड़ा हुआ है, जिसका निष्पादन किया जाना आवश्यक है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना परिसर में अनावश्यक रूप से पड़े हुए सामानों के निस्तार की दिशा में न्यायालय से सम्पर्क स्थापित कर अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

पूर्व सूचना के बावजूद निरीक्षण टिप्पणी तैयार कर नहीं रखी गयी थी, बल्कि मांग किये जाने पर सूचना/विवरणी उपलब्ध कराई गयी । थाना प्रभारी भविष्य में इस ओर सचेष्ट रहेंगे ।

3- प्रभार :- श्री भगेश कुमार मण्डल, अवर निरीक्षक, दिनांक 21-05-2002 से थाना प्रभारी के प्रभार में हैं । इनके पूर्व श्री रामाश्रय यादव, थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे । इस थाना में शुरू से लेकर अब तक पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची (नामपट्ट) उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पता नहीं चलता है कि कौन-कौन पदाधिकारी यहाँ पदस्थापित रहे हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रारम्भ से लेकर अब तक पदस्थापित थाना प्रभारियों का नामपट्ट बनवाकर 15 दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजे, साथ ही उसकी एक प्रति अधीहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करावें । थाना में नामपट्ट का उपलब्ध रहना आवश्यक है ताकि यह पता चल सके कि

लगातार....3/-

ारम्भ से लेकर अब तक कौन-कौन थाना प्रभारी किस अवधि से किस अवधि तक इस थाना में पदस्थापित रहे हैं ।

– स्थापना :-

बासोपट्टी थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6
1–	अवर निरीक्षक	2	3	–	1
2–	सहायक अवर निरीक्षक	2	3	–	1
3–	हवलदार	2	–	2	–
4–	आरक्षी	8	2	6	–
	कुल योग :-	14	8	8	2

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हवलदार का 2 पद एवं आरक्षी का 6 पद रिक्त है जबकि एक अवर निरीक्षक एवं एक सहायक अवर निरीक्षक अतिरिक्त पदस्थापित हैं । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि स्थिति की समीक्षा कर रिक्त स्थानों के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में समुचित कार्रवाई करें ।

बासोपट्टी थाना में स्वीकृत बल के विरूद्ध पदाधिकारियों के पदस्थापन की स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	पद	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1	2	3	4	5
1–	अवर निरीक्षक	भवेश कुमार मंडल	21-05-2002	सा0-सबनपुर, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा ।
2–	अवर निरीक्षक	कपिलदेव सिंह	19-10-2001	सा0-पड़रिया, थाना-नारदीगंज, जिला-नवादा ।

लगातार-4/-. . .

1	2	3	4	5
3-	अवर निरीक्षक	राम बचन सिंह	26-08-2001	सा0-सखदीपुर, थाना-कहलगाँव, जिला-भागलपुर ।
4-	सहायक अवर निरीक्षक	वीरेन्द्र कुमार मिश्र	02-07-2002	सा0-नारायणपुर, थाना-फुलवारीशरीफ, जिला-पटना ।
5-	सहायक अवर निरीक्षक	कापलदेव सिंह	19-04-2002	सा0- पोसला, थाना-नारदीगंज, जिला-नवादा ।
6-	सहायक अवर निरीक्षक	जियालाल माथुर	11-07-2001	सा0- बाराहरख, थाना-पकड़ीदयाल, जिला-पूर्वी चम्पारण ।
7-	साक्षर आरक्षी-542	अनिल कुमार सिंह	02-07-2002	सा0-वोलीपुर, थाना-जमालपुर, जिला-मुंगेर
8-	आरक्षी-307	अरूण कुमार	09-08-2000	सा0-खेतला, थाना-अतरी, जिला-गया
9-	आरक्षी-368	राजदेव राम	15-09-2000	सा0- बड़का लवहर, थाना-बड़हरा, जिला-भोजपुर ।

उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार बासोपट्टी थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पद	नाम	कब से पदस्थापित	कब तक पदस्थापित
1-	अवर निरीक्षक	श्री राम दत्त सिंह	04-08-1984	13-10-1985
2-	अवर निरीक्षक	श्री राम सागर शर्मा	13-10-1985	11-12-1986
3-	अवर निरीक्षक	श्री राम कृपाल सिंह	11-12-1986	14-12-1987
4-	अवर निरीक्षक	श्री भागवत शर्मा	14-12-1987	01-08-1989
5-	अवर निरीक्षक	श्री तारकेश्वर शरण	01-08-1989	26-07-1990
6-	अवर निरीक्षक	मो0 कलामुद्दीन	26-07-1990	07-08-1992
7-	अवर निरीक्षक	श्री मिर्जा सैफुल्लावेज	07-08-1992	16-12-1993

लगातार-5/-. . .

--	अवर निरीक्षक	श्री अनिल कुमार सिंह	16-12-1993	08-09-1994
--	अवर निरीक्षक	श्री शिवजी प्रसाद	08-09-1994	26-08-1996
0-	अवर निरीक्षक	श्री राजेश्वर मिश्र	26-08-1996	12-02-1997
1-	अवर निरीक्षक	श्री चन्द्रमा सिंह	12-02-1997	21-01-1999
2-	अवर निरीक्षक	श्री रामध्यान सिंह	21-01-1999	12-05-2000
3-	अवर निरीक्षक	श्री रामाश्रय यादव	12-05-2000	21-05-2002
4-	अवर निरीक्षक	श्री भवेश कुमार मण्डल	21-05-2002	अद्यतन

- पूर्व निरीक्षण :-

बासोपट्टी थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारियों का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षणटिप्पणी प्राप्त की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1-	श्री अशोक कुमार गुप्ता	आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा	23-11-1994	03-12-1994	16-07-1995
2-	श्री रंजीत सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक	25-01-1983	-	-
3-	श्री अरूण चौधरी	आरक्षी अधीक्षक	10-05-1984	-	-
4-	श्री एन0सी0दोंदियाल	आरक्षी अधीक्षक	24-11-1986	-	-
5-	श्री अजीत दत्त	आरक्षी अधीक्षक	27-02-1988	-	-
6-	श्री एन0सी0 दोंदियाल	आरक्षी अधीक्षक	24-11-1986	-	-
7-	श्री पी0आर0के0नायडू	आरक्षी अधीक्षक	04-12-1992	09-12-1992	23-02-1993
8-	श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक	19-09-1994	25-09-1994	12-11-1994
9-	श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक	25-12-1996	02-02-1997	-
10-	श्री शहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक	24-11-1997	04-12-1997	-

लगातार-6/-. . .

11-	श्री विमलेश प्रसाद सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक	28-12-2001	04-02-2002	22-07-2002
12-	श्री एम0आर0नायक	सहायक आ0अधीक्षक	29-11-2000	30-11-2000	01-09-2001
13-	श्री बी0के0मिश्रा	अनु0आ0पदा0बेनीपट्टी	30-03-1993	-	-
14-	श्री बी0के0मिश्रा	अनु0आ0पदा0बेनीपट्टी	24-10-1984	-	-
15-	श्री बी0के0मिश्रा	अनु0आ0पदा0बेनीपट्टी	30-12-1984	-	-
16-	श्री भवेश ठाकुर	अनु0आ0पदा0बेनीपट्टी	04-03-1985	-	-
17-	श्री भवेश ठाकुर	अनु0आ0पदा0बेनीपट्टी	28-01-1987	-	-
18-	मो0 खैरूद्दीन अंसारी	अनु0आ0पदा0जयनगर	27-04-1992	29-04-1992	-
19-	श्री एम0के0अंसारी	अनु0आ0पदा0जयनगर	27-01-1994	03-02-1994	10-08-1994
20-	श्री मो0 रहमान	अनु0आ0पदा0जयनगर	20-12-1995	22-12-1995	-
21-	श्री शम्श तब्रेज	अनु0आ0पदाजयनगर	28-12-1998	22-01-1999	15-05-1999
22-	श्री शम्श तब्रेज	अनु0आ0पदा0जयनगर	26-05-1999	04-06-1999	30-06-1999
23-	श्री देवनारायण कुँवर	आरक्षी निरी0, जयनगर	02-01-1984	-	-
24-	श्री देवनारायण कुँवर	आरक्षी निरी0, जयनगर	30-03-1984	-	-
25-	श्री डी0एन0 कुँवर	आरक्षी निरी0, जयनगर	10-07-1985	-	-
26-	श्री योगानन्द सिंह	आरक्षी निरी0, जयनगर	14-02-1988 से	-	-
27-	श्री भूदेव तिवारी	आरक्षी निरी0जयनगर	16-02-1988 तक 25-03-1990	-	-
28-	श्री भूदेव तिवारी	आरक्षी निरी0, जयनगर	19-10-1990	-	-
29-	श्री के0एन0चौधरी	आरक्षी निरी0, जयनगर	28-09-1992	29-09-1992	22-02-1993
30-	श्री ईश्वरी प्र0 वर्मा	आरक्षी निरी0, जयनगर	09-02-1992	28-02-1992	-
31-	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	आरक्षी निरी0, जयनगर	30-06-1999	07-08-1999	-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस थाना का निरीक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक द्वारा वर्ष 2001 के बाद, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1999 के बाद, आरक्षी निरीक्षक द्वारा वर्ष 1999 के बाद से इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है । सभी निरीक्षी पदाधिकारियों

लगातार-7/- . . .

से अनुरोध है कि वर्ष में कम से कम एक बार अपने क्षेत्रान्तर्गत के थाना का निरीक्षण अवश्य करें ।

इस थाना का अभी तक किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि " अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही सब शक्तियाँ प्राप्त है, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे अपने अधिक्षेत्र के भीतर सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करें " । अतएव, अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

निरीक्षण टिप्पणी के लिए एक ही पंजी संधारित है, जिसमें सारे निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस थाना का किये गये निरीक्षण टिप्पणियाँ रक्षित है । नियमानुसार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग रक्षी संचिका संधारित होना चाहिए एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में साँटना चाहिए । इसके अतिरिक्त उपर्युक्त बालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस थाना का किये गये निरीक्षण का या तो निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त नहीं हुआ है या निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन भी नहीं भेजा गया है । सामान्यतः निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जानाचाहिए ।

श्री एम0आर0नायक, सहायक आरक्षी अधीक्षक, जयनगर द्वारा दिनांक 29-11-2000 को इस थाना का किये गये निरीक्षण की टिप्पणी का अवलोकन किया । निरीक्षण टिप्पणी के अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र खाना-पुरी किया गया है । अनुपालन प्रतिवेदन में मात्र यह लिखा गया है कि दिये गये निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है । यह परम्परा बिल्कुल ही गलत है । वस्तुतः निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देश यदि अनुपालन समय -सीमा के अन्दर नहीं होता है, तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययन कर , जो भी विन्दु अनुपालन हेतु अवशेष है, उसका अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर भेजते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करावें ।

6- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-116 के तहत फार्म सं0-15 में थाना दैनिकी संधारित है, जो दो प्रतियों में है ।

इसे रोजनामचा भी कहा जाता है । कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक को भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है । यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वाह्न से शुरू होकर अगले दिन 8.00 बजे पूर्वाह्न तक अर्थात 24 घंटे का चक्र चलता रहता है । थाना दैनिकी में थाना क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती है,उसकी प्रविष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त थाना के पदाधिकारी जब बाहर चले जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हाजत में है अथवा नहीं, उक्त तिथि को मौसम कैसा रहा, थाना में कितनी राशि नकद रूप में है, कोई विदेशी थाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं आदि की भी प्रविष्टि की जाती है । थाना दैनिकी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है । थाना दैनिकी का भौलूम संख्या-10302 का अवलोकन किया, जिसमें 1030101 से 1030200 क्रमांकित है । बताया गया कि थाना दैनिकी 100 का भौलूम होता है ।

थाना दैनिकी में दर्ज बासोपट्टी थाना काण्ड संख्या-51/2002 दिनांक 19.8.2002 का अवलोकन किया । यह मामला दहेज हत्या से संबंधित है । इसमें यह जिक्र किया गया है कि ग्राम-सिराही,थाना-बासोपट्टी,जिला-मधुबनी सर्किल नं0-4 से वादी देवेन्द्र पाण्डेय पे0-स्व0 राम जतन पाण्डेय,सा0-मझौरा,थाना-बासोपट्टी,जिला-मधुबनी के फर्द व्यान के आधार पर रामकृष्ण चौधरी पे0-राम अशीष चौधरी अन्य पांच, सभी ग्राम-सिराही,थाना-बासोपट्टी,जिला-मधुबनी के विरूद्ध अंकित किया गया है । काण्ड का सारांश यह है कि वादी देवेन्द्र पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि इनकी भतीजी मृतिका कुमारी देवी की शादी पांच वर्ष पूर्व सिराही ग्राम निवासी राम कृष्ण चौधरी उर्फ मदन चौधरी पे0- राम अशीष चौधरी के साथ सम्पन्न हुई । शादी के बाद से ही दहेज के रूप में भैंस की मांग करते रहे तथा मृतिका को प्रताड़ित करते रहे एवं दिनांक 19.8.2002 को सुबह 6/7 बजे मारपीट किए जिससे वह या तो जहर खा ली या उसके घरवालों द्वारा जहर खिला दिया गया,जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । उक्त घटना में प्राथमिकी के अभियुक्तों को दोषी बताया गया है । अनुसंधान के क्रम में मृतिका कुमारी देवी के शव का अन्त्य परीक्षण कराया गया है । सभी अभियुक्त फरार हैं । काण्ड का अनुसंधान अन्तर्गत है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार करने की कार्रवाई करें ।

लगातार-9/.....

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-118 के तहत फार्म-16 में फिरारी पंजी संधारित करना है, जो विहित प्रपत्र में इस थाना में संधारित है । यह दो भाग में होता है । भाग-1 में अपने थाना के अपराधकर्मी का नाम एवं भाग-11 में दूसरे थाना के अपराधकर्मी का नाम अंकित किया जाता है । बताया गया कि भाग -1 में निम्नांकित अपराधकर्मी यथा श्री सोनवा पासवान पिता बद्री पासवान, ग्राम-पतौना 2- श्री धुरन कामत पिता-परसन कामत, ग्राम-जोंकी 3- श्री हरिश्चन्द्र ठाकुर पिता-राजनन्दन ठाकुर, ग्राम-डाम फरार हैं जिसमें से श्री धुरन कामत, जो जयनगर थाना काण्ड संख्या 9(1)/69 धारा-395 भा0द0वि0 के अभियुक्त थे की मृत्यु हो चुकी है । इसी प्रकार भाग-2 में श्री हनीफ मियाँ पिता-जलील मिया, ग्राम-पद्मा (लदनियाँ) फरार हैं जो लदनियाँ थाना काण्ड संख्या 3(9)/53 धारा 457/380 भा0द0वि0 के अभियुक्त हैं । उपरोक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक लम्बे अर्से से चारो अभियुक्त फरार हैं । हो सकता है इनमें से अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गयी हो । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में समुचित छानबीन कर मृत फिरारी का नाम फिरारी पंजी से हटाने हेतु आरक्षी अधीक्षक को अविलम्ब प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें । साथ ही फिरारी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु भी कार्रवाई सुनिश्चित करें । इस हेतु सघन अभियान चलाकर औचक रूप से छापामारी करें एवं गुप्तचर के द्वारा उनके उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करें । पंजी के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 1997 के बाद हाल में इस पंजी का संधारण किया गया है, जो एक गम्भीर विषय है । थाना प्रभारी इस संबंध में अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करें ।

8- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या-31-ए. में इस पंजी का संधारण किया जाना है । यह पंजी माह-अगस्त तक संधारित है । बताया गया कि इस वर्ष अभी तक 82 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जनवरी में 6, फरवरी में 6, मार्च में 21, अप्रील में 13, मई में 15, जून में 6, जुलाई में 5 एवं माह अगस्त में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । इस प्रकार थाना प्रभारी द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है । इससे अपराधियों का मनोबल गिरता एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में आसानी होती है ।

9- रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम- 109 के तहत फार्म सं0-50 में इस पंजी को संधारित करना है, जो संधारित है। इस पंजी के अनुसार दिनांक 14-9-2002 तक कुल 87 वारंट एवं 13 कुर्की तामिला हेतु न्यायालय से प्राप्त हुए थे जिनमें से इस माह में 49 वारंट का तामिला कराया गया है एवं 10 कुर्की का निष्पादन किया गया है। इस प्रकार 28 वारंट एवं 3 कुर्की निष्पादन हेतु लंवित है। लंवित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

पूर्व से लंवित		वर्त्तमान माह में प्राप्त		वर्त्तमान माह में निष्पादित		कुल लंवित	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
77	13	10	-	49	10	28	03

पदाधिकारीवार लंवित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी कानाम/पदनाम	वारंट	कुर्की
1-	अ0नि0 भवेश कुमार मण्डल	-	-
2-	अ0नि0 कपिलदेव सिंह	18	02
3-	अ0नि0 राम बचन सिंह	19	02
4-	स0अ0नि0 बी0के0मिश्रा	11	03
5-	स0अ0नि0 जियालाल माथुर	19	02
6-	स0अ0नि0 कपिलदेव सिंह	20	04

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभी भी 28 वारंट एवं 3 कुर्की तामिला हेतु लंवित है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंवित वारंटों एवं कुर्की को 15 दिनों के अन्दर निष्पादित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

10- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाइसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-130 के तहत फार्म सं0-25 में यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। यह पंजी दिनांक

लगातार-11/-. . .

12-9-2002 को जिला शस्त्र पंजी से मिलान किया गया है । बिहार शस्त्र अधिनियम-48 के तहत वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान करवाया जाना है, जो किया जा रहा है ।

इस थाने में कुल 71 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं, जिसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

(क) डी०बी०बी०एल	-	65
(ख) एस०बी०बी०एल०	-	05
(ग) राईफल	-	01
(घ) रिवाल्वर	-	शून्य
कुल :-		71

11- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूम-11 के नियम-239 ए. फार्म संख्या-43 ए. में यह पंजी संधारित करना है किन्तु इस थाना में इसका संधारण नहीं किया जा रहा है, जो गम्भीर विषय है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है । इस पंजी में हाजत में रखेजाने वाले व्यक्तियों के बारे में लिखा जाता है जैसे वह व्यक्ति कब खाना खाया, कब शौच में गया, कब हाजत में आया एवं कब हाजत से बाहर गया आदि का उल्लेख इसमें किया जाता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर पंजी संधारित करना सुनिश्चित करें एवं पंजी के सभी कॉलम को भी भरना सुनिश्चित करें । यदि इस पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाता है, कॉलम खाली छोड़े जाते हैं तथा यदि संयोगवश बन्दी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में यही माना जायगा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है । यह पंजी उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है । उस समय यह पंजी काफी उपयोगी सिद्ध होती है ।

12- तख्ती नं०-1 :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 76 के तहत तख्तियों को संधारित करना है । तख्ती नं०-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित

होती है । इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 12. 9. 2002 तक संधारित है । इस तख्ती में सरकारी सम्पत्ति की सूची रखी गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि परिचारी प्रवर,आरक्षी केन्द्र,मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर सरकारी सम्पति की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर लें एवं तख्ती अद्यतन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

13- तख्ती नं0-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम,पता इस तख्ती में अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है ।

14- तख्ती नं0-3 :-

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त कारखाने, भंडार और दूकानों की सूची रखी जाती है । बताया गया कि इस थाना में यह प्रतिवेदन शून्य है ।

15- तख्ती नं0-4 :-

इस तख्ती में आयुध,गोला-बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । बताया गया कि इस थाने में यह प्रतिवेदन शून्य है ।

16- तख्ती नं0-5 :-

तख्ती नं0-5 कि-अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । किन्तु बताया गया कि इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

17- तख्ती नं0-6 :-

इस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है ।

लगातार-13/-....

इस थाना क्षेत्रान्तर्गत दो अनुज्ञाप्ति प्राप्त देशी एवं विदेशी शराब की दूकान बासोपट्टी बाजार में स्थित है, जिसके अनुज्ञाप्तिधारी का नाम श्री प्रबोद कुमार पे0 स्व0 मिश्री लाल प्रसाद, सा0-थाना-मनीगाछी, जिला-दरभंगा है एवं अनुज्ञाप्ति संख्या क्रमशः 66ए-3/2002-2003 एवं अनुज्ञाप्ति संख्या 66ए-22/2002-2003 है।

18- तख्ती नं0- 7 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण काण्ड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है।

19- तख्ती नं0-8 :-

इस तख्ती में जुआ, गेसिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है। प्रतिवेदन शून्य है। थाना प्रभारी को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया।

20- तख्ती नं0-9 :-

थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट, बाजार एवं मेले की सूचना इस तख्ती में अंकित की जाती है। तख्ती अद्यतन है एवं लगनेवाले हाट, बाजार एवं मेले की तिथिवार सूचना निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	स्थान	बाजार	मेला	हाट
1-	बासोपट्टी	बाजार	दशहरा/ इन्द्रपूजा	मंगलवार एवं शुक्रवार
2-	कमलपुर	बाजार	-	सोमवार एवं वृहस्पतिवार
3-	दुबही	बाजार	-	सोमवार एवं वृहस्पतिवार
4-	सौना	बाजार	-	रविवार एवं बुधवार
5-	मंदथौर	बाजार	इन्द्रपूजा	सोमवार एवं वृहस्पतिवार

21- तख्ती नं0- 10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों, मुखियों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं प्रखंड समितियों के अध्यक्षों

के नाम लिखे जाते हैं । इस थाना में यह तख्ती संधारित है एवं अद्यतन है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त सूची में थाना क्षेत्र के विधायक/पार्षद एवं सांसदों का भी नाम अंकित करें ।

22- तख्ती नं0-11 :-

इस तख्ती में नियम 152 के तहत उन अधिकारियों एवं आरक्षी थानों की सूची रहती है जिन्हें डाक-डाक सूचना भेजी जाती है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को एक भी पत्र नहीं भेजा गया है । क्या थाना से जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई पत्र नहीं भेजा जाता है? थानाप्रभारी स्थिति स्पष्ट करें ।

23- तख्ती नं0-12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या 20 है, जिनकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	दागी संख्या	नाम/पिता का नाम	गाँव एवं सर्किल संख्या	जाँच की अवधि
1	2	3	4	5
1-	ए/12	नारायण दास पे0 सिरजू दास	नरकटिया सर्किल नं0-111	मासिक
2-	ए/17	परमेश्वर यादव पे0 राजन यादव	कटैया, सर्किल नं0-4	मासिक
3-	ए/18	नथुनी यादव पे0 स्वरूप यादव	वीरपुर, सर्किल नं0-4	मासिक
4-	बी/98	ब्रह्मदेव यादव पे0 नन्दलाल यादव	सिराही, सर्किल नं0-4	मासिक
5-	बी/99	राम खेलावन ठाकुर पे0 सिंघेश्वर ठाकुर	सिराही, सर्किल नं0-4	मासिक
6-	सी/60	प्रमोद शर्मा पे0 जयनाथ शर्मा	मीना बाजार, बासोपट्टी, सर्किल नं0-1	मासिक
7-	ए/10	गोपाल धानुक पे0 रामजी धानक	वीरपुर, सर्किल नं0-4	त्रैमासिक
8-	ए/14	इस्लाम मियाँ पे0 हनीफ मियाँ	वीरपुर, सर्किल नं0-4	त्रैमासिक
9-	बी/96	उपेन्द्र रविदास पे0-राजदेव रविदास, उर्फ सिंघेश्वर रविदास	छतौनी, सर्किल नं0-4	त्रैमासिक

लगातार-15/-. . . . .

10-	बी0/97	लट्टू मंडल पे0 कारी मंडल	कुदरकट्टा, सर्किल नं0- I	त्रैमासिक
11-	सी0/2	मुस्लिम मियाँ पे0 मो0 अयुब	बासोपट्टी सर्किल नं0-I	त्रैमासिक
12-	सी/59	देवचन्द सॉंती पे0 मोहन सॉंती	भैयापट्टी, सर्किल नं0-III	त्रैमासिक
13-	ए/116	विलट कबाड़ी पे0 पलट कबाड़ी	वीरपुर, मेहतरपट्टी, सर्किल नं0- 4	अर्द्धवार्षिक
14-	ए/131	मो0 तस्लीम पे0 जमीर मियाँ	घोरबंकी, सर्किल नं0-II	अर्द्धवार्षिक
15-	सी/57	जगदीश मिश्र पे0 वंशी मिश्र	भैयापट्टी, सर्किल नं0-III	अर्द्धवार्षिक
16-	ए/15	सुखदेव मंडल पे0 दिलचन्द मंडल	वीरपुर , सर्किल नं0-4	वार्षिक
17-	ए/16	मातवर दास पे0 दुखी दास	नरकटिया , सर्किल नं0-III	वार्षिक
18-	ए/156	विलट दुसाध पे0 रउदी दुसाध	मनमोहन, सर्किल नं0-III	वार्षिक
19-	बी/93	बौकू ततवा पे0 विलट ततवाँ	अरधावा, सर्किल नं0-III	वार्षिक
20-	बी0/94	लोथा ततवाँ पे0 सुवा ततवाँ	अरधावा, सर्किल नं0-III	वार्षिक

24- तख्ती नं0- 13 :-

इस तख्ती में सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधी की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार इस थाना के सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधकर्मियों की सूची निम्नवत है :-

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	ग्राम	थाना	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
1-	प्रभात कुमार मिश्र	जयशंकर मिश्र	चम्पा	अरेर	मधुबनी
2-	मनचल यादव	स्व0 अनुप यादव.	चम्पा	अरेर	मधुबनी
3-	बौका गिरी उर्फ सिधेश्वर गिरी		पिपरौन	हरलाखी	मधुबनी
4-	योगी सादा	मुन्नीलाल सादा	फुलहर	हरलाखी	मधुबनी

25- तख्ती नं0- 14 :-

इस तख्ती में अधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है । तख्ती अद्यतन है ।

26- तख्ती नं0-15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है । मानचित्र संधारित है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम-131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तर वाला एक छपा हुआ, थाना मानचित्र भी टंगा रहेगा, जिस पर भट्ठियाँ, शराब की दूकाने, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमाएँ, सीमावर्त्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे, नेपाल या अन्य देश के सह-सीमस्थ हों तो इन देशों के सह-सीमस्थ थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि नियम-131 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0-16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना नं0-, गाँवों की संख्या, आवादी, क्षेत्रफल आदि रखी जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस थाना का कुल क्षेत्रफल 13036 हेक्टर, कुल जनसंख्या-2,09,461 एवं राजस्व गाँवों की संख्या 34 के अतिरिक्त थानानं0-38 है एवं पंचायत 15 हैं ।

उपर्युक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तख्तियाँ तो संधारित की गई है, परन्तु कुछ तख्तियों में अद्यतन सूचनाओं का अभाव है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि 15 दिनों के अन्दर सूचनाओं को अद्यतन कर तख्ती में संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

28- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम- 357 के तहत फार्म सं0-75 बी में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है । इस थाना में यह नोट बुक विहित प्रपत्र मेंसंधारित नहीं है । थाना प्रभारी द्वारा निजी डायरी में संधारित किया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं/घटनाओं की सूचना दर्ज की जा रही है ।

लगातार- 17/-. . . .

29- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-I :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है । इसमें 64 कॉलम हैं एवं अद्यतन है । यह आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है ।

30- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-II :-

यह विहित प्रपत्रमें संधारित है, जिसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि थाना प्रभारी द्वारा लिखा जाना चाहिए, जो नहीं लिखा जा रहा है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी में पेंसिल से लिखा गया है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इसे सही ढंग से संधारित करना सुनिश्चित करें ।

31- सी0डी0 पार्ट-I :-

इसमें दागी व्यक्तियों(डोसियर्स) की सूची रखी जाती है । इस पंजी के अनुसार इस थाना में कुल 20 दागी व्यक्ति हैं । पंजी सही ढंग से संधारित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि इसे सही ढंग से संधारित करनासुनिश्चित करें । थाना प्रभारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि दागी व्यक्तियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें ।

32- सी0डी0पार्ट-II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । पंजी का अवलोकन किया गया । श्री परमेश्वर यादव पे0 राजन यादव, ग्राम-कटैया, जो बासोपट्टी थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराधी है, का नाम लाल स्याही से लिखा गया है, जबकि इसका नाम काला स्याही से होना चाहिए । यह पंजी के क्रमांक -31 पर अंकित है । इसमें कोई ताल-मेल नहीं हो रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का स्वयं अध्ययन कर पंजी के सभी कॉलम को सही-सही ढंग से नियमानुसार भरना सुनिश्चित करें ।

33- सी0 डी0पार्ट-III :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों परयथाधार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर

लगातार- 18/-. . .

गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार अंकित की जाती है ।। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस थाना क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटी है । पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

34- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है, तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0 पार्ट-।। से जानकारी ली जाती है । अल्फावेट पंजी में वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त होते हैं । यह पंजी सी0 डी0 पार्ट-।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई जाती है । यदि इस पंजी में अंकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है । यह पंजी अच्छे ढंग से संधारित की जा रही है ।

35- एम0ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-357 के तहत फार्म सं0 76 ए. में एम0 ओ0 रजिस्टर संधारित की गई है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट किया गया अथवा नहीं, लाठी-डंडा से मारपीट किया गया या नहीं, गृह भेदन किया गया अथवा नहीं, उनके द्वारा जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी सही ढंग से संधारित नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी को इसे सही ढंग से संधारित करने का निर्देश दिया गया ।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सर्प दंश से	पानी में डूबने से	आग लगने से	पेड़ से गिरने से	जहर खाने से	फाँसी लगाने से	बिजली करंट से	विविध	योग
1997	1	-	1	-	1	1	-	-	3
1998	1	-	-	-	-	1	-	-	2
1999	-	1	1	-	2	-	-	1	5
2000	-	3	1	-	1	-	-	-	5
2001	1	-	5	-	2	1	-	-	9
2002	1	-	3	-	-	1	-	-	5

(14-9-2002 तक)

लगातार-19/-. . .

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	दिनांक	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम	लंबित का कारण
1	2	3	4	5
1-	यू0डी0कांड सं0 1/93	16-5-1993	स0अ0नि0 अशोक कुमारसिंह	प्रभार हेतु ।
2-	यू0डी0कांड सं0 4/94	23-9-1994	स0अ0नि0 के0 डी0सिंह	पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु ।
3-	यू0डी0कांड सं0 5/94	24-12-1994	स0अ0नि0 के0 डी0सिंह	पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु ।
4-	यू0डी0कांड सं0 8/95	16-10-1995	स0अ0नि0 जियालाल माथुर	मीसरा जाँच प्रतिवेदन हेतु।
5-	यू0डी0कांड सं0 1/97	17-01-1997	स0अ0नि0 जियालाल माथुर	मीसरा जाँच प्रतिवेदन हेतु ।
6-	यू0डी0कांड सं0 3/2000	13-10-2000	अ0नि0 एम0 बानरा	प्रभार हेतु ।
7-	यू0डी0कांड सं0 1/2001	15-02-2001	स0अ0नि0 जिला लाल माथुर	पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु ।
8-	यू0डी0कांड सं0 2/2001	26-02-2001	अ0नि0 के0 डी0सिंह	पर्यवेक्षण हेतु ।
9-	यू0डी0कांड संख्या 3/2001	20-5-2001	स0अ0नि0 बी0के0 मिश्रा	पर्यवेक्षण हेतु ।
10-	यू0डी0कांड संख्या 3/2001	02-07-2001	अ0नि0 के0 डी0सिंह	पर्यवेक्षण हेतु ।
11-	यू0 डी0कांड संख्या 8/2001	26-7-2001	अ0नि0 रामेश्वर तिवारी	प्रभार हेतु
12-	यू0डी0कांड सं0 9/2001	06-11-2001	अ0नि0 के0डी0सिंह	मीसरा प्रतिवेदन हेतु ।
13-	यू0डी0कांड सं0 1/2002	20-02-2002	अ0नि0 रामाश्रय यादव	प्रभार हेतु ।
14-	यू0डी0कांड सं0 2/2002	03-04-2002	स0अ0नि0 जियालाल माथुर	पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु ।
15-	यू0डी0कांड सं0 3/2002	17-4-2002	अ0नि0 राम बच्चन सिंह	आदेश हेतु ।
16-	यू0डी0कांड सं0 4/2002	21-5-2002	अ0नि0 भवेश कुमार मंडल	
17-	यू0डी0कांड सं0 5/2002	04-06-2002	स0अ0नि0 जियालाल माथुर	पर्यवेक्षण हेतु ।

लगातार-20/-. . .

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि यू०डी०कांड संख्या 1/93, 4/94, 5/94, 8/95, 1/97 एवं यू०डी०कांड संख्या 3/2000 काफी दिनों से लंबित चला आ रहा है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित सभी कांडों के शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन की दिशा में समुचित कार्रवाई करेंगे । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनगर भी अपने स्तर से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।

37- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों की पंजी अलग से संधारित नहीं है । थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदित : उक्त अधिनियम के तहत वर्ष 1998 से दर्ज मामलो की अद्यतन सूची निम्नवत है :-

क्रमांक	वर्ष	काण्ड संख्या एवं तिथि	धारा	अभ्युक्ति
1-	1998	1- 50/98 दि० 26-8-1998	धारा-314 दहेज अधि०-3(x) (x11) अनु०जाति/जनजाति अधिनियम । 498(ए)भा०द०वि०	आरोप पत्र 29/99 दिनांक 30-6-99 को समर्पित ।
2-	तदैव	2- 67/98 दि० 27-11-1998	धारा 341/342/323/379/34 भा०द०वि० एवं 3(x) अनु०जाति/जनजाति अधिनियम ।	अन्तिम प्रतिवेदन 3/99 दिनांक 31-1-1999 को समर्पित ।
3-	2000	1- 32/2000दि० 20-8-2000	धारा-341/323/420/467/379/120(बी) 34 भा०द०वि० 3(x)अनु०जाति/जनजाति अधि०	अन्तिम प्रतिवेदन मिथ्या ।
4-	तदैव	2- 71/2000दि०28-9-2000	धारा-341/447/323/354/34 भा०द०वि० एवं 3(x) अनु०जाति/जनजाति अधिनियम ।	आरोप पत्र 25/2000 दिनांक 28-1-2000 कोसमर्पित ।
5-	तदैव	3- 72/2000दि० 28-9-2000	धारा- 341/447/323/354/504/34 भा०द०वि० एवं 3(x) अनु०जाति/अनु०जनजाति अधिनियम ।	आरोप पत्र 14/2002 दिनांक 9-1-2002 कोसमर्पित ।
6-	तदैव	4- 12/2000दि० 6-2-2000	धारा 341/323/354/भा०द०वि० एवं 3(x) अनु०जाति/जनजाति अधिनियम ।	आरोप पत्र 22/2002 दिनांक 23-5-2002 को समर्पित ।
7-	तदैव	5- 81/2000दि० 16-10-2000	धारा-342/323/504 भा०द०वि० एवं 3(x) अनु०जाति/जनजाति अधिनियम ।	अनुसंधान हेतु लंबित ।

लगातार21 /-. . . .

8-	2001	1- 33/2001 दि0 13-4-2001	धारा 144/323/307/504/ 379 भा0द0वि0 एवं 3(x) अनु0जाति/जनजाति अधि0	आरोप पत्र 60/2001 दिनांक 8-7-2001 को समर्पित ।
9-	तदैव	2- 54/2001 दि0 16-6-2001	धारा-447/341/328/504/ 34 भा0द0वि0 एवं 3(x) अनु0जाति/जनजाति अधि0	आरोप पत्र 84/2001 दिनांक 31-8-2001 को समर्पित ।
10-	तदैव	3- 65/2001 दि0 04-8-2001	धारा 342/323/307/504/ 34 भा0द0वि0 एवं 3(x) अनु0जाति/जनजाति अधि0	आरोप पत्र 61/2002 दिनांक
11-	तदैव	4- 74/2001 दि0 6-9-2001	धारा-147/448/341/323/ 384/354/380/504 भा0 द0वि0 एवं 3(x)अनु0जाति/ जनजाति अधिनियम ।	अन्तिम प्रतिवेदन 101/2001 दि0 30-7-2002 समर्पित ।
12-	तदैव	5- 86/2001 दि0 25-9-2001	धारा-341/323/379/34 भा0द0वि0 3(x) अनु0जाति/ जनजाति अधिनियम ।	अनुसंधान हेतु लंबित ।
13-	तदैव	6- 76/2001 दिनांक 7-9-2001	धारा-341/323/379/504 भा0द0वि0 एवं 3(x) अनु0 जाति/जनजाति अधिनियम ।	अन्तिम प्रतिवेदन 100/2001 दि0 30-9-2001 समर्पित ।
14-	2002	1- 7/2002 दि0 5-2-2002	धारा 147/148/447/342/ 323/324/307/354/504/ 379 भा0द0वि0 एवं 3(x) अनु0जाति/जनजाति अधिनियम	अनुसंधान हेतु लंबित
15-	तदैव	2- 9/2002 दिनांक 28-2-2002	धारा 447/341/348/323/ 504/354/307/324/379/ 34 भा0द0वि0 एवं 3(x) अनु0जाति/जनजाति अधिनियम ।	अनुसंधान हेतु लंबित ।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1998 में दो, वर्ष 2000 में पाँच, वर्ष 2001 में छः एवं वर्ष 2002 में दो मामला अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध दर्ज किया गया है जिनमें से काण्ड संख्या 81/2000, काण्ड संख्या 86/2001,

लगातार-22/-. . .

एवं काण्ड संख्या 7/2002 एवं काण्ड संख्या 9/2002 अनुसंधान हेतु लंबित चला आ रहा है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अलग से पंजी संधारित कर शिकायत/आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर त्वरित गति से कार्रवाई करें ताकि इस अधिनियम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल सके एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े । जिला स्तर पर प्रत्येक वृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरवार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है । विदित हो कि बासोपट्टी थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है एवं आये दिन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचनाएँ मिलती रहती है । अतएव थाना प्रभारी इस पर विशेष ध्यान दें एवं इस अधिनियम को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित करें ।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म 67 में यह पंजी संधारित करना है परन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर एक सादे पंजी में संधारित किया गया है, जो उचित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से एक सप्ताह के अन्दर प्रपत्र प्राप्त कर विहित प्रपत्र में इसे संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन दें । थाना मालखाना में जमा कराये गये आग्नेयास्त्रों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	जमाकर्त्ता का नाम एवं पता	जमा शास्त्र का प्रकार एवं संख्या	जमा करने का कारण	जमा करने का वर्ष
1-	रामचन्द्र साह, सा० वीरपुर, थाना-बासोपट्टी	दो नाली बन्दुक सं०- 82696	सुरक्षार्थ ।	1996
2-	शिवनन्दन चौधरी, सा०धवलमिलिया, थाना-बासोपट्टी	दो नाली बन्दुक सं०- ए-180	तदैव	1996
3-	रामेश्वर ठाकुर, सा० बेलौना, थाना-बासोपट्टी	दो नाली बन्दुक सं०-सी-7-6690	तदैव	2001
4-	जमीन्दार सिंह, सा०-मेहतरपट्टी, थाना-बासोपट्टी	दो नाली बन्दुक सं०- 3099	तदैव	2001
5-	राजनन्दन ठाकुर, सा०-सुन्दरपुर, थाना-बासोपट्टी	दो नाली बन्दुक सं०- 27976	तदैव	2001
6-	भागवत चौधरी, सा०-थाना-बासोपट्टी	दो नाली बन्दुक सं०- ए-205	तदैव ।	2002

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 1996 से दो एवं वर्ष 2001 से 3 शास्त्र सुरक्षार्थ थाना में जमा किया गया है । परन्तु उपर्युक्त ऑकड़े से यह पता नहीं चल रहा है कि संबंधित शास्त्र अनुज्ञाप्तिधारियों के अनुज्ञाप्ति का नवीकरण

लगातार-23/-. . .

एवं शस्त्र का निरीक्षण कराया गया है अथवा नहीं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित अनुज्ञाप्तिधारियों को नोटिस निर्गत कर अनुज्ञाप्ति का नवीकरण एवं शस्त्र का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे ।

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म संख्या-69. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । परन्तु आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को नहीं भेजा जारहा है । नियम 59(क) में यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि "प्रपत्र संख्या 69. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे । आरक्षी निरीक्षक, जयनगर को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

40- चौकीदारी पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम-13 के तहत विहित प्रपत्र में एवं अच्छे ढंग से चौकीदारी पंजी का संधारण किया गया है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित है जिसमें प्रत्येक चौकीदारों के लिए अलग-अलग पृष्ट आवंटित की गई है एवं उपस्थिति रोमण अंक में दर्ज की जाती है । अनुपस्थित चौकीदारों के संबंध में लाल इंक से इटालियन अंक में लिखा जा रहा है ।

चौकीदारों/दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्त	अतिरिक्त
1-	दफादार	05	03	2	
2-	चौकीदार	53	52	1	
	कुल :-	58	55	3	

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची पूर्ण पता सहित निम्नवत है :-

क्रमांक	महाल/बीट संख्या	पदनाम	नाम	गृह पता

लगातार-24/- . . .

क्रमांक	सर्किल नं0	पदनाम	नाम	पिता का नाम	गाँव	महाल
	I	दफादार	मनोज कुमार ठाकुर	स्व0 राम औतार ठाकुर	डामू	सर्किल नं0-I का पूरा गाँव
1-	I	चौकीदार	I/1 राधे पासवान	स्व0 हरिहर पासवान	बासोपट्टी	बासोपट्टी
2-	I	चौकीदार	I/2 दुलारचन्द पासवान	स्व0 असर्फी पासवान	बासोपट्टी	बासोपट्टी
3-	I	चौकीदार	I/3 सीताराम पासवान	स्व0 धनेश्वर पासवान	बासोपट्टी	बासोपट्टी
4-	I	चौकीदार	I/4 मिश्री सहनी	स्व0 महावीर सहनी	बुन्देलखंड	बुन्देलखण्ड, कुदरकट्टा
5-	I	चौकीदार	I/5 मो0 याकुब	स्व0 मीर मोहम्मद	कौवाआ	बलकट्वा, मोहनपट्टी
6-	I	चौकीदार	I/6 जय किशोर ठाकुर	स्व0 सरयुग ठाकुर	मानसिंघपट्टी	मानसिंघपट्टी
7-	I	चौकीदार	I/7 लक्ष्मण पासवान	राम प्रसाद पासवान	बासोपट्टी	बासोपट्टी
8-	I	चौकीदार	I/8 सीताराम पासवान	स्व0 जीवछ पासवान	डामू	भागिरथपट्टी, मुसहरी चमारटोला
9-	I	चौकीदार	I/9 योगेन्द्र पासवान	झपसी पासवान	झोत	झोत, चिलमिलिया
10-	I	चौकीदार	I/10 राम औतार पासवान	स्व0 अच्छे पासवान	परसा	परसा
11-	I	चौकीदार	I/11 पंचू पासवान	स्व0 जुलूम पासवान	मानापट्टी	मानापट्टी हत्थापुर
12-	सर्किल II	चौकीदार	चन्देश्वर यादव	श्री नारायण यादव	राधाकान्त	राधाकान्त
13-	II	चौकीदार	2/1 राम विलास पासवान	स्व0 महावीर पासवान	घोड़बंकी	नवटोल, बलौट, बालापट्टी
14-	II	चौकीदार	2/4 बिल्टु यादव	स्व0 मित लाल यादव	राधाकान्त	राधाकान्त
15-	II	चौकीदार	2/6 जीवछ यादव	स्व0 मोहित यादव	मढ़िया	तुरही टोल, मढ़िया, यादवटोल, कमलाबारी, धरनामा टोल ।
16-	II	चौकीदार	2/7 योगेन्द्र पासवान	स्व0 लखन पासवान	घोरबंकीगोठ	घोरबंकी गोठ, पंचरत्न
17-	II	चौकीदार	2/8 किशोरी राम	फेकु राम	पंचरत्न	घोड़बंकी, मढ़िया, पश्चिम टोल, पंचरत्न ।
18-	II	चौकीदार	2/9 चैतु खतवे	बतहू खतवे	तेलीबेली	तेलीबेली, वसुधा
19-	II	चौकीदार	2/10 भोला ठाकुर	स्व0 राम पुकार ठाकुर	उछाल	उछाल
20-	II	चौकीदार	2/11 खुर्शीद मियाँ	स्व0 शहीद मियाँ	उछाल	उछाल, बनवारी टोल
21-	II	चौकीदार	रामचन्द्र मेहता	स्व0 तुलदेव मेहता	भैयापट्टी	भैयापट्टी
22-	सर्किल III					

लगातार-25 /-. . . .

23-	सर्किल नं0-	III	चौकीदार	3/1 रामकृष्ण राम	मुक्मोचन राम	फेंट	फेंट विराटपुर, फेंट दक्षिणटोल
24-		III	चौकीदार	3/2 अवध मोची	स्व0 मुक्न मोची	विराटपुर	थानन, कसेराटोल
25-		III	चौकीदार	3/3 लक्ष्मेश्वर पासवान	स्व0 जीवछ पासवान	थानन	सिरियापुर, गौतमनगर,
26-		III	चौकीदार	3/4 महेन्द्र पासवान	स्व0 मुक्न पासवान	सिरियापुर	सिम्हाटोल ।
27-		III	चौकीदार	3/5-जगदीश मंडल	स्व0 कपिलेश्वर मंडल	कोरियापटटी	कोरियापटटी, हटवरिया, कोरियानी ।
28-		III	चौकीदार	3/6 रीझन पासवान	स्व0 बेचन पासवान	पतौना	पतौना
29-		III	चौकीदार	3/7 कुलदेव पासवान	स्व0 दशरथ पासवान	भैयापटटी	भैयापटटी
30-		III	चौकीदार	3/8 गोपी पासवान	स्व0 बौकु पासवान	बेलौना	भगवानपुर, नरैला, बेलौना
31-		III	चौकीदार	3/9 जयनारायण मंडल	स्व0 राम मंडल	कोरियापटटी	कोरियापटटी, बेलौना
32-		III	चौकीदार	3/10 कारी पासवान	स्व0 मौजे पासवान	अरधावा	अरधावा
33-		III	चौकीदार	3/11 कुलदीप ठाकुर	स्व0 अवध ठाकुर	मनमोहन	मनमोहन, छुस्की पटटी
34-		III	चौकीदार	3/12 जगत पासवान	स्व0 नचारी पासवान	नरकटिया	नरकटिया, मदिया द0टोल प0 टोल
35-	सर्किल नं0-IV		दफादार	मल्हु यादव	स्व0 अनुप यादव	महथौर	सर्किल नं0-4
36-			चौकीदार	4/1 छठु पासवान	सीताराम पासवान	वीरपुर	वीरपुर, लोहरपटटी, सहनी टोल ।
37-			चौकीदार	4/2 भोगेन्द्र मंडल	स्व0 पुरन मंडल	कौवाहा	कौवाहा, जतो
38-			चौकीदार	4/3 परीक्षण पासवान	स्व0 बौअन पासवान	महथौर	महथौर, कदवाही, कटैया
39-			चौकीदार	4/4 पिताम्बर बिन्द	स्व0 मन्नु बिन्द	कटैयो	कटैया, अम्वा टोल
40-			चौकीदार	4/5 शेख तैयब	स्व0 शेख जैनुल	सिराही	सिराही, मेहतरपटटी, सिलकोर कोठी ।
41-			चौकीदार	4/6 राजकुमार कामत	स्व0 राम रतन कामत	कटैया	कटैया
42-	सर्किल नं0-V		दफादार	रामपदारथ चौधरी	स्व0 जगदीश चौधरी	गम्हरिया	सर्किल नं0-
43-			चौकीदार	5/1 रामकृपाल यादव	स्व0 केशरी यादव	छतौनीटोल सतियारी	छतौनी, राजपुतानी सतियारी
44-			चौकीदार	5/2 अताउल	स्व0 शेख अजीज	छतौनी	छतौनी, गहुलिया
45-			चौकीदार	5/4 रामकिशुन पासवान	स्व0 मखन पासवान	महिनाथपुर	महिनाथपुर

लगातार- 26/-. . . .

सर्किल नं0-V	चौकीदार	5/5 राम प्रताप पासवान	सरयुग पासवान	जोकी	जोकी
	चौकीदार	5/6 चन्दर पासवान	दुखी पासवान	मल्लिनाथपुर	दुवही
46	चौकीदार	5/7 परमेश्वर सदवे	स्व0 गुलाई सदवे	मंझौरा	मंझौरा, नवका टोल
47	चौकीदार	5/8 रामनाथ यादव	स्व0 राम लखन यादव	लौठवा	लौठवा
48	चौकीदार	5/9 चलितर पासवान	स्व0 दुखी पासवान	सौना	सौना, कमलावरपट्टी
49	चौकीदार	5/10 राम यादव	स्व0 बजरंगी यादव	लौठवा	विरता, वैरहा
50	चौकीदार	5/11 रामपुनीत कामत	स्व0 जगरूप कामत	तिमरारी	तिमरारी
51	चौकीदार	5/12 राज कुमार यादव	स्व0 सीता राम यादव	लौठवा	जानकी नगर
52	चौकीदार	5/बोर्डर झगरू पासवान	स्व0 रामवृत पासवान	सौना	सौना बौर्डर
53 बोर्डर	चौकीदार	5/बोर्डर रामवरण कामती	स्व0 रामजीवन कामती	गम्हरिया	बोर्डर
54 बोर्डर	चौकीदार	5/बोर्डर पूरन राउत	स्व0 महावीर राउत	मल्लिनाथपुर	बोर्डर
55 बोर्डर	चौकीदार	5/बोर्डर, योगेन्द्र पासवान	स्व0 कैलु पासवान	मल्लिनाथपुर	बोर्डर
56 बोर्डर					

57

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दफादार का दो पद एवं चौकीदार का एक पद रिक्त है । थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि रिक्त पदों की भर्त्ती हेतु नियमानुसार प्रस्ताव उचित माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ।

41- चौकीदार डिसपोजीशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं पंजी के सभी 6 स्तम्भ भरा हुआ पाया गया ।

42- मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-307 के तहत फार्म-51 में मालखाना पंजी संधारित करना है, जिसमें (क) लावारिस सामान (ख) जप्त सम्पत्ति (ग) कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति एवं (घ) आपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । मालखाना पंजी के भौलूम के क्रमांक 029101 से 029125 को देखा । उक्त पंजी में वर्ष 1975 से लेकर 2002 (14-9-2002 तक) प्रदर्श 68, कुर्की-जप्ती 37, लावारिस-2 मालखाना में जमा है । मालखाना में रखी गई सम्पत्तियों के निष्पादन हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि बहुत से कांडों में न्यायालय का आदेश पूर्व में पारित हो गया होगा । अतएव, थाना प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि सभी कांडों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर एक माह के अन्दर निष्पादन की कार्रवाई करें । थाना परिसर में भी पुरानी मोटर साईकिल वगैरह पड़ा हुआ है, जिसका निष्पादन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार-27/-. . . .

43- मालखाना रिसीट भाउचर पंजी :-

मालखाना रिसीट भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त सामग्री (प्रदर्श) मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति पेस्ट कर रखी जाती है । यह पंजी दो भागों में होती है । इसे सही ढंग से संधारित करने का निर्देश दिया गया ।

44- अनुक्रमणी पंजी :-

इस थाना में कितने तरह की पंजियाँ अथवा संचिकाएँ संधारित की गई है, उसकी अनुक्रमणी पंजी नहीं बनाई गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि एक सप्ताह के अन्दर अनुक्रमणी पंजी तैयार कर थाना में उपलब्ध सभी पंजियों/संचिकाओं को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । अगर आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से भी मार्ग-निर्देश प्राप्त किया जा सकता है ।

45- गुण्डा पंजी :-

गुण्डा पंजी संधारित है एवं अद्यतन है । बताया गया कि 14 तरह के गुण्डागर्दी से संबंधित आंकड़ा का समावेश इस पंजी में किया जाता है ।

46- अपराध आँकड़ा :-

बासोपट्टी थाना के विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	दंगा	अभ्युक्ति
1997	5(3)	3(1)	1	7	7(1)	13(10)	
1998	-	-	-	3	7(1)	7(2)	
1999	4(2)	1	1	3	3(2)	6(5)	
2000	5(2)	2	-	5(1)	5(4)	3(2)	
2001	1	-	-	3(1)	2(1)	12(8)	
2002 (14-9-02 तक)	2	-	-	2	2	7	

लगातार-28/-. . . .

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र लूट की घटना को छोड़कर सभी क्षेत्रों(मदों) में अपराध की घटना में वृद्धि हुई है । इसके रोकथाम हेतु कारगर कार्रवाई की आवश्यकता है । यह थाना अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है एवं पड़ोसी देश नेपाल में माओवादी विद्रोहियों परअंकुश लगाये जाने के कारण संभव है कि वे भारत की सीमा में प्रवेशकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दें । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वे पूर्णतः चौकसी बरत कर /सघन अभियान चलाकर बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षी निरीक्षक को भी इस पर सही निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

47- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या 119 आ में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है जिसमें (1) न्यायालय से संबंधित (2) विभाग से संबंधित (3) सीमावर्त्ती थाना से संबंधित एवं (4) आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । थाना प्रभारी को इस पंजी को सही ढंग से संधारित करने का निर्देश दिया गया ।

48- कॉन्सटेबल नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 89(ड.) के तहत कॉन्सटेबल नोट बुक संधारित करना हैजिसमें उल्लेख करना है कि संबंधित कॉन्सटेबल द्वारा कौन-कौन सा कर्त्तव्य सम्पन्न किया गया, किस कार्य से कहाँ-कहाँ गया । किन्तु इस थाना में यह संधारित नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर इसे संधारित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

49- प्राथमिकी पंजी :-

प्राथमिकी पंजी का अवलोकन किया । प्राथमिकी पंजी के बुक नं0- 8300 के क्रमांक 41495 से 415000 का अवलोकन किया । इस वर्ष कुल 67 प्राथमिकी दर्ज किये गये हैं । यह 13 कॉलम में होता है एवं पाँच प्रतियों में संधारित होती है । दर्ज प्राथमिकी की पहली प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को, दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक को , तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को, चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को एवं पाँचवी प्रति थाना में रखी जाती है । प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित "जनता दरबार" में अक्सर दूर-दूर से आये लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थानाप्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । चूँकि थाना

लगातार-29/-. . . .

को प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में आता है तो उसे प्रथम न्यायालय में न्याय अवश्य मिलना चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाना में आता है, तो उसकी बात पूरी तत्परता से सुनकर, प्राथमिकी दर्जकर निष्पक्ष होकर त्वरित कार्रवाई करें ।

50- प्राथमिकी पंजी :-

विगत पाँच वर्षों का प्राथमिकी आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	107/116	144	133	182/211	188	290	109/211
1997	93	17	2	1	-	-	-
1998	99	11	2	4	-	-	-
1999	89	16	-	5	-	-	-
2000	89	11	-	2	-	-	-
2001	142	05	-	1	-	-	-
2002 (14-9-02 तक)	82	05	1	1	-	-	-

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दं0प्र0सं0 की धारा 107 एवं 116 को एक ही मिलाकर लिखा गया है, जिससे यह पता नहीं चलता कि 107 में कितने प्राथमिकी दर्ज हुए एवं 116 में कितनी प्राथमिकी दर्ज हुए । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वे 107 एवं 116 के संबंध में अलग-अलग प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें ।

51- लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

क्रमांक	कांड संख्या	दिनांक	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण ।
1-	86/2001	25-9-2001	341/323/379/349 पी.सी. एवं 3(x) अनुजाति/जनजाति अधिनियम ।	अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनगर ।	पर्यवेक्षण हेतु ।

लगातार-30/-. . .

2	07/2002	5-2-2002	147/148/447/342/323/324/307/354/504/379 भा०द०वि० एवं 3(x) अनु०जाति/जनजाति अधिनियम ।	अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, श्री अशोक कुमार सिंह - - - - - - - - - - श्री जनार्दन प्रसाद यादव	गिरफ्तारी हेतु
3	09/2002	28-2-2002	447/341/323/342/504/354/307/324/379/भा०द०वि० एवं 3(x) अनु० जाति/जन जाति अधिनियम ।	अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनगर श्री अशोक कुमारसिंह - - - - - - - - - - श्री जनार्दन प्रसाद यादव	अंतिम आदेश हेतु
4	31/2002	16-5-2002	147/342/323/379/386/भा०द०वि० एवं 3(x) अनु०जाति/जनजाति अधि०	अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनगर-श्री जनार्दन प्र०यादव	तदेव
5	25/2001	11-4-2001	144/342/323/307 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए-26, 27 आर्म्स एक्ट ।	अ०नि० बी०के०मण्डल	आरक्षी उप महानिरीक्षक का ह्स्त0
6	36/2001	24-4-2001	302/201 भा०द०वि०	अ०नि० बी०के०मंडल	पर्यविक्षण टिप्पणी के अनुदेशों का पालन एवं गिरफ्तारी हेतु ।
7	38/2002	19-6-2001	306/201/84 भा०द०वि०	अ०नि० बी०के०मंडल	पर्यविक्षण हेतु ।
8	51/2002	19-8-2002	304(बी)/34 भा०द०वि०	अ०नि० बी०के०मंडल	पर्यवेक्षण हेतु ।
9	53/2002	21-8-2002	302/34 भा०द०वि०	अ०नि० बी०के०मंडल	पर्यवेक्षण हेतु ।
10	107/2001	29-11-2001	295/295(ए) भा०द०वि०	अ०नि० आर०बी०सिंह	बिहार सरकार का स्वीकृत्यादेश प्राप्त करने हेतु ।
11	23/2002	3-4-2002	406/420 भा०द०वि०	अ०नि० रामबच्चन सिंह	अंतिम प्रगति प्रति० प्राप्त करने हेतु ।
12	34/2002	2-6-2002	304(बी)/34 भा०द०वि०	अ०नि० रामबचन सिंह	एक अभियुक्त का कुर्की-जप्ती न्यायालय से प्राप्त करने हेतु ।
13	32/2002	17-5-2002	448/376/511 भा०द०वि०	स०अ०नि०कपिलदेवसिंह	अंतिम प्रगति प्रति० प्राप्त करने हेतु ।

लगातार-31...

	45/2002	9-7-2002	420/467 भा0द0वि0		
14-	42/2002	8-7-2002	448/341/324/307/120 (बी) एवं 25(1-बी) 26, 35 आर्म्स एक्ट ।	स0अ0नि0 के0डी0सिंह	पर्यवेक्षण हेतु
15-				स0अ0नि0 बी0के0मिश्रा	गिरफ्तारी हेतु ।
16-	16/2002	18-3-2002	376/ 511 भा0द0वि0	स0अ0नि0 बी0के0मिश्रा	एक अभियुक्त का कुर्की-जप्ती नयायालय से प्राप्त करने हेतु ।
17-	58/2002	27-8-2002	147/148/323/324/307/ 379/504/भा0द0वि0 एवं 3(x) अनुजाति/जनजाति अधिनियम ।	स0अ0नि0 बी0के0मिश्रा	पर्यवेक्षण हेतु ।
18-	41/2002	4-7-2002	448/342/366/366(ए)/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट ।	स0अ0नि0 जे0एल0माथुर	पर्यवेक्षण हेतु ।

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 के 4 कांड अभी भी लंबित है । थाना प्रभारी को लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है ।

52- चरित्र सत्यापन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 92(क) में नियोजनार्थियों के पूर्व चरित्र के सत्यापन हेतु विशेष निर्देश दिये गये हैं । थाना प्रभारी ने बताया कि माह-जनवरी, 2002 से निरीक्षण की तिथि तक कुल 14 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 12 मामलों का सत्यापन भेजा जाचुका है । शेष दो मामला निष्पादन शीघ्र कर दिया जायेगा । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि चरित्र सत्यापन से संबंधित जो भी मामले, विशेषकर नियोजनार्थियों के पूर्व चरित्र के सत्यापन हेतु जो मामले प्राप्त प्राप्त होते हैं, उनका निष्पादन अधिकतम सात दिनों के अन्दर कर संबंधित विभाग को लौटा दें ताकि संबंधित व्यक्ति को नियोजन से वंचित नहीं होना पड़े ।

53- लंबित अविशेष कांडों की विवरणी :-

इस थाना-अन्तर्गत लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी निम्नप्रकार से है :-

क्रमांक	कांड संख्या	तिथि	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम/पदनाम	लंबित रहने का कारण
1-	20/1999	20-4-1999	409/420/भा0द0वि0	अ0नि0 आर0बी0सिंह	एतद्नोट में दिये गये निर्देश का पालन हेतु ।

लगातार-32 -. . . .

2-	06/2002	04-02-2002	143/323/436 भा0द0वि0	अ0नि0 आर0बी0तिंह	अभियुक्तों की गिरफ्तारीहेतु ।
3-	43/2002	08-09-2002	448/186/भा0द0वि0 एवं 6§1§ बिहार अतिक्रमण अधिनियम	अ0नि0 आर0बी0तिंह	पर्यवेक्षण हेतु ।
4-	49/2002	15-07-2002	447/341/427/504/379/347 /34 भा0द0वि0	अ0नि0 आर0बी0तिंह	एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु
5-	59/2002	29-08-2002	341/342/323/504/379/34 भा0द0वि0	अ0नि0 आर0बी0तिंह	अज्ञात अभियुक्त के बारे में पता करने हेतु पर्यवेक्षण हेतु ।
6-	60/2002	31-08-2002	341/342/323/504/379/ 34 भा0द0वि0	अ0नि0 कपिलदेव तिंह	पर्यवेक्षण हेतु ।
7 -	47/2002	12-07-2002	448/341/323/324/307/ 379/504	त0अ0नि0 कपिलदेव तिंह	पर्यवेक्षण हेतु ।
8-	54/2002	23-08-2002	341/323/447/504/379/ 34 भा0द0वि0	त0अ0नि0 कपिलदेव तिंह	पर्यवेक्षण हेतु ।
9-	55/2002	24-08-2002	457/380 भा0द0वि0	त0अ0नि0 बी0के0मिश्रा	पर्यवेक्षण हेतु ।
10-	57/2002	26-08-2002	147/148/323/324/307/ 379/504 भा0द0वि0	त0अ0नि0 बी0के0मिश्रा	पर्यवेक्षण हेतु ।
11-	56/2002	25-08-2002	341/323 /324/307/379/ 34 भा0द0वि0	त0अ0नि0 जिया लाल माथुर	एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु

थाना प्रभारी को निर्देश दियाजाता है कि लंवित अविशेष कांडों का निष्पादन त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें ।

5- कीट परेड का निरीक्षण :-

निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित आरक्षियों के नाम के तामने अंकित तामग्री आरक्षी के कीट में कमी पाई गयी ।

1- साक्षर आरक्षी -542 अनिल कुमार तिंह - 1- ग्रेड कोर्ट §2§ उलैन पैंट §3§ उलैन कमीज 4- ब्रास नम्बर §5§ बरसाती §6§ बेल्ट §7§उलैन जर्सी

2- आरक्षी-307 अरूण कुमार - 1- उलैन कमीज §2§ उलैन पैंट §3§ ग्राउन्ड तीट §4§ मच्छरदानी §5§ टेरीकॉटन वर्दी

लगातार-33/-. . .

3- आरक्षी-368 राजदेव राम - 1- ग्रेड कोर्ट(2) उलैन पैंट(3) उलैन कमीज (4) बरसाती(5) कम्बल(6) पीटी शू(7)ब्रश

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिन आरक्षी के कीट में उपर्युक्त सामान की कमी है, उसके लिए आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर सामानों को उपलब्ध कराने की दिशा में यथोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

55- सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गई । सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि उनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखने हेतु नियमानुसार पुरस्कृत करना चाहेंगे ।

56- थाना प्रभारी के कर्त्तव्य :-

थाना प्रभारी से पूछने पर कि उनका कर्त्तव्य क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बतायागया जबकि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में ही इसकी पूरी जानकारी दे दी जाती है । बिहारपुलिस हस्तक के नियम 8(क) में थाना प्रभारी का क्या कर्त्तव्य है, उसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

(क) अधिक्षेत्र वासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।
(ख) अपराध और अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारीति और अविलम्ब ब्यौरे पाना ।
(ग) अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर आवश्यक निगरानी बरतना ।
(घ) अपराध-निदेशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।
(च) सघन गश्त की व्यवस्था करना ।
(छ) अपजीविका के केसों में अभियोजन-रिपोर्ट उपस्थापित करना ।
(ज) सीमावर्त्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक-से अधिक सहयोग करना ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ अन्य निर्देशों का अनुपालन सख्ती से

लगातार-34/-

करें ।

57- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी0पी0 द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करनापड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी की मांग किये जाने पर ततसमय उपलब्ध करायेंगे ।

(ख) ए0पी0पी0 द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थाना प्रभारी लंबित कांडों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

(ग) नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डी0 डब्लू0 एवं बी0 डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

(घ) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति-व्यवस्था कायम करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर, नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें।

(च) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें ।

(छ) भूमि विवाद/नीलाम-पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में दफादार/चौकीदारों को माह में एक बार अंचल अधिकारी के पास अवश्य भेजे जायें ताकि उनके सहयोग से प्रमादी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर राशि की वसूली की जा सके ।

(ज) चौकीदारी परेड का निरीक्षण के दौरान सभी चौकीदारों को निर्देश दिया गया कि गाँव के बारे में, असामाजिक तत्वों के बारे में एवं अन्य गतिविधि के संबंध में थाना को निश्चित रूप से सूचना दें । साथ ही नीलाम-पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली में अंचल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ।

लगातार-35

निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जासकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी पत्रों का संधारण नियमानुसार करें एवं प्रत्येक पंजियों में पृष्ठों का सत्यापन पंजी के प्रथम पृष्ठ पर अवश्य करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे । निरीक्षण के क्रम में जो त्रुटियाँ पाई गई है, उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देश के आलोक में समय-सीमा के अन्दर दूर करना सुनिश्चित करें । यदि इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देश का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाता है, तो थाना के कार्य कलाप में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार आ सकता है । चूँकि बासोपट्टी थाना अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, अतएव, थाना प्रभारी को अपने कर्त्तव्य के प्रति विशेष सचेष्ट रहने की आवश्यकता है ।

ह0/-डा0बी0राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 1549 - सामान्य, मधुबनी, दिनांक 21/ ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2002 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह(विशेष) विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक(प्रशासन), बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी उप-महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी निरीक्षक, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि थाना प्रभारी, बासोपट्टी थाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 30.9.2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।